

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-02/परी०-09(को०प्र०)-01/2019-1032

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वै०दा०नि०को० (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 04.06.2019

विषय:- बिहार स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता	प्रशिक्षण-अवधि	संबंधित जिला पदा०/समा० द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह० की तिथि
01	डॉ० मो० अफाक निजामी, चिकित्सा पदाधिकारी, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना	13.03.2019 से 12.04.2019 तक	22.04.2019

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-02/परी०-09(को०प्र०)-01/2019-1032

प्रतिलिपि:-

जिला पदाधिकारी पटना एवं डॉ० मो० अफाक निजामी, चिकित्सा पदाधिकारी, पैथोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 04.06.2019

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

04/06/19